फर्द अहकाम

गंगाराम बनाम रणजीत

नाम न्यायालय

केस संख्या 137/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/1/25	[illegible] संघ द्वारा आ[illegible] के कारण [illegible] नहीं की जा सकी। पी[illegible] हैं। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 27/1/25 पेश हो।
	27/1/25	पत्रावली [illegible] एस०डी०ओ० साहब [illegible] में व्यस्त हैं। अतः [illegible] दिनांक 3/2/25 [illegible] हो।
	3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Pr by Adv. Kamlendra Sharma

R/Exp report

19/9/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या /2023

गंगाराम पुत्र नेता जाति मीणा निवासी ग्राम सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. रणजीत पुत्र नेता
2. गोपाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
4. शंकर लाल पुत्र स्व0 धन्नालाल
5. लाली देवी पुत्री स्व0 धन्नालाल
6. कैलाशी देवी पुत्री स्व0 धन्नालाल
7. नारायणी पुत्री स्व0 धन्नालाल
8. सन्ती पुत्री स्व0 धन्नालाल

अ. नि. गंगाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 137/2023
निर्णय दिनांक : 03.02.2025

उनवान

गंगाराम पुत्र नेता जाति मीणा निवासी ग्राम सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. रणजीत पुत्र नेता
2. गोपाल पुत्र स्व० धन्नालाल
3. बाबूलाल पुत्र स्व० धन्नालाल
4. शंकर लाल पुत्र स्व० धन्नालाल
5. लाली देवी पुत्री स्व० धन्नालाल
6. कैलाशी देवी पुत्री स्व० धन्नालाल
7. नारायणी पुत्री स्व० धन्नालाल
8. सन्ती पुत्री स्व० धन्नालाल
9. श्रीमती सोनी पत्नी स्व० चन्दाराम
10. विजय सिंह पुत्र स्व० चन्दाराम
11. कैलाश पुत्र स्व0 चंदाराम
12. कमली देवी पुत्री स्व0 चंदाराम
13. सावित्री देवी पत्नी स्व० रामफूल
14. राकेश पुत्र स्व० रामफूल
15. नरेश पुत्र स्व० रामफूल
16. सुमन पुत्री स्व० रामफूल
17. निशा पुत्री स्व० रामफूल
18. शीला देवी पुत्री स्व० लालाराम
19. मोहन लाल पुत्र लालाराम
20. शान्ति पुत्री लालाराम
21. रामा देवी पत्नी स्व० लालाराम
    समस्त जातियान मीणा निवासीयान सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
22. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता–इन्दिरा सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, सांगानेर, जयपुर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
24. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम सांगानेर, जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आज प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त शीर्षकीय वाद पत्र ठोस व सुदृढ तथ्यों के आधार पर श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता प्राप्ति की पूर्ण आशा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाईस की खातेदारी भूमि ग्राम सवाई गेटोर, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे खसरा नम्बर 500 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

684/1382 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7500 हैक्टयर स्थित हैं जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। जिसे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि के खातेदार धन्नालाल, चन्दाराम, व लालाराम का स्वर्गवास हो गया है अप्रार्थी संख्या दो लगायत आठ धन्नालाल के वारिस है, अप्रार्थी संख्या नो लगायत सत्रह चन्दाराम के वारिस है तथा अप्रार्थी संख्या अठारह लगायत इक्कीस लालाराम के वारिस है। पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर बनबट के आधार पर काबिज होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे है जिसका अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ हैं। अप्रार्थी संख्या एक लगायत उन्नीस वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा करवाये बिना वादग्रस्त भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने और आवासीय व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थी को भुजबल के आधार पर उसकी कब्जेशुदा भूमि से बेकब्जा करने का प्रयास कर रहे है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नही हैं। अप्रार्थी संख्या एक ने खसरा नम्बर 500 रकबा 0.1000 हैक्टयर व खसरा नम्बर 684/1382 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 हैक्टयर सम्पूर्ण को अप्रार्थी संख्या बाईस के नाम से दर्ज करवा दिया व उक्त भूमि का भू रूपान्तरण करवा दिया जिसका कि अप्रार्थी संख्या एक व बाईस को कोई वैधानिक अधिकार हांसिल नही था जबकि वादग्रस्त भूमि मे अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि अर्थात वादग्रस्त भूमि के इंच इंच पर प्रार्थी व प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक व बाईस की उक्त बेजा कार्यवाही की जानकारी दिनांक 16–09–2023 को जमाबन्दी की प्रति देखने से हुई। दिनांक 26–09–2023 को अप्रार्थी संख्या एक इक्कीस कुछ दिगर व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आया और वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर प्लाटिंग करने के उद्देश्य से निशान कायम कर दिये और विक्रय बाबत बातचीत करने लगे इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक इक्कीस से कहा कि आप वादग्रस्त भूमि का पहले विधिवत बटवारा करवा लो इस पर अप्रार्थी संख्या एक लगायत इक्कीस ने प्रार्थी को बटवारा करवाने से साफ मना कर दिया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि हम बिना विधिवत बटवारा करवाये ही वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भाग का विक्रय कर देगें और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य करेगें। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं पेश करना आवश्यक हुआ है।यदि अप्रार्थी संख्या एक एक लगायत बाईस द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग का विक्रय कर दिया जाता हैं और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य कर लिया जाता हैं तो वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा करना मुश्किल व असम्भव हो जायेगा तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा और उन्हें अपूर्णिय क्षति कारित होगी। वादग्रस्त भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवारा किया जाकर मद संख्या दो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के 1/5 हिस्से का राजस्व रिकार्ड मे अलग से खाता बनाया जाये व उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाईस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या दो में वर्णित वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा न होने तक अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाईस वादग्रस्त भूमि को किसी भी दिगर व्यक्ति, सोसायटी, संस्था आदि को विक्रय/हस्तानान्तरण न करें ना करावे, तथा प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में बाधा कारित न करें ना करें और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे। अप्रार्थी संख्या बाईस को पावन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत किसी दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे आवंटन पत्र जारी न करें तथा अप्रार्थी संख्या तेईस को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने एवं अप्रार्थी संख्या चोबीस को वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित किभी प्रकार के हस्तान्तरण पत्र/लेख्य का पंजीयन किसी व्यक्ति या संस्था के हक मे न करने हेतु पावन्द फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या तेईस राजस्थान सरकार वादग्रस्त भूमि का भू–धारक हैं और वाद तकासमा मे आवश्यक पक्षकार हैं व अप्रार्थी संख्या चोबीस को पंजीयन अधिकारी है इसलिए उसे पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या बाईस लगायत चोवीस को दावा दायरी से पूर्व 80 सी.पी.सी. का सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाईस वादग्रस्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरित करने पर आमादा है इसलिए मुकदमा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना सूचना पत्र दिये ही उक्त वाद किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी को उक्त सूचना पत्र की छूट दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 16–09–2023 को जमाबन्दी को देखने से अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या बाईस के नाम की गई अवैधानिक कार्यवाही की जानकारी होने से तथा दिनांक 26–09–2023 को अप्रार्थी संख्या एक लगायत इक्कीस द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आकर निशान लगाने से व विक्रय इत्यादि कर वादग्रस्त भूमि को बेचान करने व गैर कृषि आवासीय व व्यवसायिक निर्माण करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने वैध हक हकुको की वादग्रस्त आराजीयात से सदैव के लिए महरूम हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपुर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी भांति सम्भव नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या दो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 684/1382 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7500 हैक्टयर वाके ग्राम सवाई गेटोर, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का विधिवत बटवारा न होने तक अप्रार्थी संख्या एक लगायत बाईस वादग्रस्त भूमि को किसी भी दिगर व्यक्ति, सोसायटी, संस्था आदि को विक्रय/हस्तानान्तरण न करें ना करावे, तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे बाधा कारित न करें ना करें और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे। अप्रार्थी संख्या बाईस को पावन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत किसी दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे आवंटन पत्र जारी न करें तथा अप्रार्थी संख्या तेईस को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने एवं अप्रार्थी संख्या चोबीस को वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित किभी प्रकार के हस्तान्तरण पत्र/लेख्य का पंजीयन किसी व्यक्ति या संस्था के हक मे न करने हेतु पावन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी द्वारा नियम 10 पेश किया जो शामिल मिसल है।

पत्रावली में बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या दो मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 684/1382 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7500 हैक्टयर वाके ग्राम सवाई गेटोर, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का विधिवत बटवारा न होने तक अप्रार्थी संख्या एक लगायत वाईस वादग्रस्त भूमि को किसी भी दिगर व्यक्ति, सोसायटी, संस्था आदि को विक्रय/हस्तानान्तरण न करें ना करावे, तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे बाधा कारित न करें ना करें और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे। अप्रार्थी संख्या बाईस को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत किसी दिगर व्यक्ति या संस्था के हक मे आवंटन पत्र जारी न करें तथा अप्रार्थी संख्या तेईस को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने एवं अप्रार्थी संख्या चोबीस को वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित किभी प्रकार के हस्तान्तरण पत्र/लेख्य का पंजीयन किसी व्यक्ति या संस्था के हक मे न करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे हे कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 की खातेदारी भूमि ग्राम सवाई गेटोर, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे खसरा नम्बर 500 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 684/1382 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7500 हैक्टयर स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा करवाये बिना वादग्रस्त भूमि को दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने और आवासीय व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थी को भुजबल के आधार पर उसकी कब्जेशुदा भूमि से बेकब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 500 रकबा 0.100 है0 व खसरा 684/1382 रकबा 0.0400 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है सम्पूर्ण को अप्रार्थी संख्या 22 के नाम से दर्ज करवाकर भू रूपान्तरण करवा दिया जिसका अप्रार्थी संख्या 1 व 22 को विधिक अधिकारी नही है। सभी प्रक्षकारान को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अर्थात वादग्रस्त भूमि के इन्च –इन्च के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 21 ने वादग्रस्त भुमि का विधिवत बटवारा करने से मना किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया वादग्रस्त भुमि का जब तक विधिवत बटवारा नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम सवाई गेटोर, पटवार हल्का दुर्गापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 684/1382 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.6000 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7500 हैक्टयर का विधिवत बटवारा जब तक नही हो जाता तब तक ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 वादग्रस्त भूमि को किसी भी दिगर व्यक्ति, सोसायटी, संस्था आदि को विक्रय/हस्तानान्तरण न करें ना करावे, तथा प्रार्थी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे बाधा कारित न करें ना करें और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य न करे। वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर